

प्रमुख वन संरक्षक, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-1017/23 कोर्ट केस

दिनांक-11-11-2011 के क्रम में वांछित सूचना/प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सुलतानपुर-लखनऊ रोड (एन०एच०-731) के किमी० सं०-167 से 168 (चैनेज सं०-167.216) के मध्य बांयी पटरी पर, खसरा सं०-1888 व 1889, ग्राम-चौबीसी, तहसील-हैदरगढ़, जिला-बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित सी०एन०जी० स्टेशन स्थल से मुख्य मार्ग तक पहुँच मार्ग निर्माण से प्रभावित संरक्षित वन भूमि (मार्ग पटरी) का क्षेत्रफल 0.221392 हे० के अतिरिक्त अन्य कोई "वन स्वरूप" क्षेत्र चिन्हित नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सुलतानपुर-लखनऊ रोड (एन०एच०-731) के किमी० सं०-167 से 168 (चैनेज सं०-167.216) के मध्य बांयी पटरी पर, खसरा सं०-1888 व 1889, ग्राम-चौबीसी, तहसील-हैदरगढ़, जिला-बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित सी०एन०जी० स्टेशन स्थल से मुख्य मार्ग तक पहुँच मार्ग निर्माण से प्रभावित संरक्षित वन भूमि (मार्ग पटरी) का क्षेत्रफल 0.221392 हे० के अतिरिक्त अन्य कोई "वन स्वरूप" क्षेत्र चिन्हित नहीं है।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
राम सनेहीघाट
बाराबंकी वन प्रभाग

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज हैदरगढ़

For Torrent Gas Pvt.Ltd.
Aashit Srivastava
General Manager

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड